संख्या- 2/2024/3024/35-4-2023/35-4099/132/2021

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ; दिनांक: 04 जनवरी, 2023

विषय:- जनपद- बाँदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक- रयान, बबेरू, बाँदा के भवन निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में जनपद बाँदा के विधान सभा क्षेत्र बबेरू में राजकीय पालीटेक्निक- रयान, बबेरू, बाँदा के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 20/2020/259/35-4-2020 दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा रू0 1657.83 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 56/2021/773/35-4-2021 दिनांक 23 मार्च, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 248.67 लाख की धनराशि, शासनादेश संख्या- 130/2021/1264/35-4-2021 दिनांक 18 अगस्त, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 794.77 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या- 372/2022/1370/35-4-2022/001-35-4099/132/2021 दिनांक 07 नवम्बर, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 331.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, अर्थात अब तक कुल रू0 1575.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। शासनादेश संख्या- 888/2023/ 2866/35-4-2023/35-4099/132/2021 दिनांक 22.11.2023 द्वारा परियोजना की लागत को रु0 2037.36 लाख पर पुनरीक्षित किया गया है |

जिलाधिकारी, बाँदा द्वारा पत्र संख्या- 814/त्व०आ०वि०यो०/2019-20 दिनांक 14.12.2023 एवं पत्र संख्या- 871/त्व०आ०वि०यो०/2019-20 दिनांक 28.12.2023 के माध्यम से प्रश्नगत कार्य हेतु प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स एवं निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 22.11.2023 के आलोक में अवशेष धनराशि की माँग की गई है |

एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए प्रश्नगत कार्य हेतु देय अवशेष धनराशि रू0 4,62,36,000/- (रूपये चार करोड़ बासठ लाख छत्तीस हज़ार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

---

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि रूपए लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत	अद्यतन अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष देय धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पालीटेक्निक रेयान, बबेरू, बाँदा का भवन निर्माण कार्य।	1657.83	2037.36	1575.00	1417.50	462.36	462.36

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17.02.2020, दिनांक 23.03.2021, दिनांक 18.08.2021, दिनांक 07.11.2022 एवं दिनांक 22.11.2023 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

2. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 4,62,36,000/- (रूपये चार करोड़ बासठ लाख छत्तीस हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 42020210403030 2 राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य 24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 2/2024/3024(1)/35-4-2023/35-4099/132/2021, तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग ।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, कानपुर |
9. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, गोमतीनगर, लखनऊ |
10. मुख्य विकास अधिकारी, बाँदा ।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाँदा ।
12. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
13. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
14. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा ।
15. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, बाँदा इकाई, बाँदा |
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**